न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 76/2019 वाद

ओमप्रकाश जटिया

//बनाम//

उंकारलाल जटिया व अन्य

<u>वाद धारा 53,88,188,209 रा0का0अधि0</u>

निर्णय दिनांक 03.06.2019

वकील वादी ने पत्रावली तलब करने का आवेदन पत्र पेश किया और निवेदन किया कि उभयपक्ष के बीच राजीनामा हो चुका है। इसलिए पत्रावली शीघ्र तलब की जावे। वकील वादी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली सीगे से तलब की गई । वकील वादी ने उक्त वाद निरस्त करने का आवेदन पत्र पेश किया जिसमें निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज करवाना चाहता है तथा प्रतिावदीगण उक्त आराजीयात को रहन बय बक्शीश विकय पत्र के माध्यम से विकय करने पर स्वतंत्र है। जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है । वादी का वाद निरस्त करावें। अतः वादी वाद निरस्त कराने का आवेदन पत्र स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested